उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

13/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा. वकील वादी प्रार्थी का उपस्थित। सुना। वाद अभिलेख एवम् दुरूस्ती इन्द्राज व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिससे वादी का वाद पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मिसल किया गया। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

तहसीलदार लालसोट को रिकार्ड अमल की तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 103/2020
दिनांक रजु :– 01–09–2020

पीठासीन अधिकारी
श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. रामरस
2. जगदीश
3. प्रभू
4. गंगासहाय

पि0 रामपाल

5. कानी पत्नी हरिचरण
6. मुकेश
7. रामराय
8. बबलू

पि0 हरिचरण

9. गुडडी पुत्री हरिचरण

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादी)

<u>वाद अधिघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज</u>

निर्णय **दिनांक** : 13/7/23

उपस्थित :– श्री बाबूलाल हाडा एडवोकेट – वादीगण की ओर से

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट के खाता संख्या 38 में वर्णित आराजी खसरा नं0 4 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 16 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 79/1 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 79/3 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 80 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 81/1 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 81/2 रकबा 14 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

खसरा नं0 82 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 83/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 83/2 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 91/3 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 94/1 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 196 रका 2 बिस्वा, खसरा नं0 197 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 205 रकबा 1 बीघा कुल किता 15 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 मे रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खाता संख्या 37 में आराजी खसरा नं0 168 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मे रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खाता संख्या 39 में आराजी खसरा नं0 224 रकबा 12 बिस्वा में रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा खाता संख्या 57 में खसरा नं0 360/1 रकबा 18 बीधा 6 बिस्वा में रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/10 जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में दर्ज है तथा वादीगण का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है :–

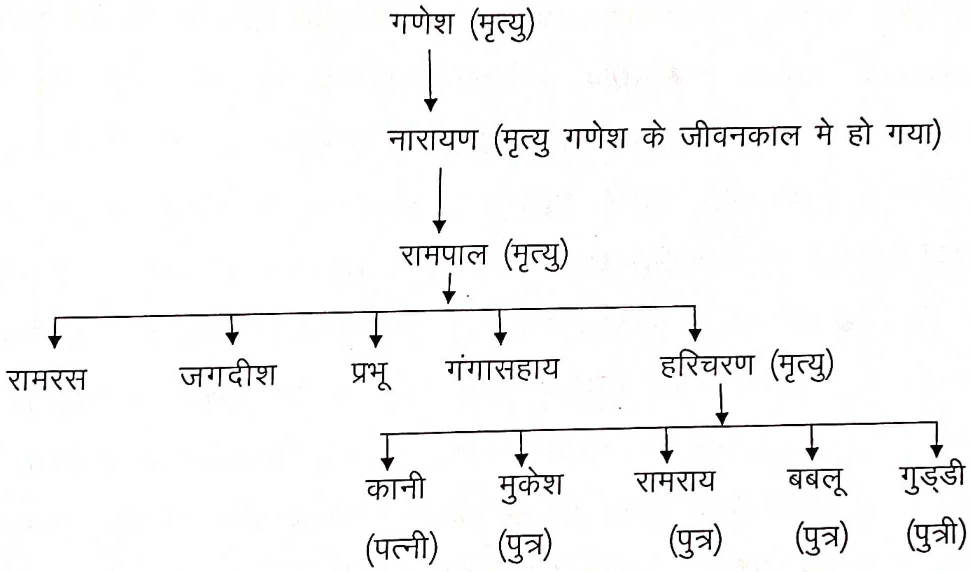

गणेश का एक मात्र पुत्र नारायण था जिसकी मृत्यु गणेश के जीवनकाल में हो गयी। इस कारण गणेश की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत का नामान्तकरण नारायण की बजाय नारायण के लडके रामपाल पुत्र गणेश के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जबकि रामपाल गणेश का पौत्र था तथा वादीगण के पुत्र है जो उसके उत्तराधिकारी एवं कानूनी वारिसान है। रामपाल नारायण का लड़का था। वादी के पिता रामपाल की कृषि भूमि ग्रम मित्रपुरा तहसील बौंली जिला सववाई माधोपुर में स्थित है रामपाल के पिता का नाम नारायण था रामपाल की मृत्यु सन् 2015 में हो गयी उसकी विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम खोला जा चुका है। वादीगण के आधार कार्ड में वादीगण के पिता का नाम रामपाल ही दर्ज है। वादीगण के पिता रामपाल पुत्र नारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

मित्रपुरा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। जब वादीगण लालसोट स्थित अपनी खातेदारी भूमि का नामान्तकरण खुलवाने लालसोट आये तो वादीगण को दिनांक 21–08–2020 को जानकारी हुई कि वादीगण के पिता रामपाल के पिता का नाम गणेश गलत दर्ज कर रखा है जबकि रामपाल के पिता का नाम नारायण था तथा गणेश तो रामपाल का बाबा था चूंकि नारायण की मृत्यु गणेश के जीवनकाल में हो गयी थी इस कारण राजस्व ऐजेन्सी ने रामपाल पुत्र गणेश के नाम से गलत रूप से इन्द्राज कर दिया इसकी जानकारी वादीगण को जमाबंदी की नकल दिनांक 21–08–2020 को लेने पर हुई। वादीगण रामपाल के पुत्र व पौत्र है तथा रामपाल के कानूनी उत्तराधिकारी है। वादीगण ही वादग्रस्त भूमि को काश्त करते है तथा लगान सरकारी अदा करते है चूंकि रामपाल पुत्र नारायण व रामपाल पुत्र गणेश एक ही व्यक्ति है परन्तु राजस्व ऐजेन्सी ने गलत रूप से राजस्व रिर्काड जमाबदी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट मे रामपाल पुत्र गणेश दर्ज कर दिया जिसको दुरूस्त करवाने व अधिघोषणा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण मृतक खातेदार रामपाल के पुत्र एवं पौत्र है जो उनके विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। इस कारण ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट के खाता 37, 38, 39, 57 में वर्णित कृषि भूमियो में रामपाल पुत्र गणेश के नाम से दर्ज भूमि की अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। कि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण को दिनांक 21–08–2020 को जमाबंदी की नकल लेने पर सर्व प्रथम जानकारी हुई कि वादीगण के पिता की वल्दियत गलत रूप से दर्ज कर दी गई है इस कारण वादीगण को वाद कारण पैदा हुआ है।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई जिस पर प्रतिवदी संख्या 1 से कोई उपस्थित नही जिनके विरूद्व दिनांक 04–11–2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार लालसोट से मौका कब्जा रिपोर्ट ली जो दिनांक 01–12–2020 को शामिल मिसल है तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू नियत की गयी। वादी की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता संख्या 38 प्रदर्श– 1, जमाबन्दी खाता संख्या 37 प्रदर्श– 2, जमाबन्दी खाता संख्या 57 प्रदर्श– 3, जमाबन्दी खाता संख्या 39 प्रदर्श– 4 तथा नामान्तकरण संख्या 324 मित्रपुरा प्रदर्श– 5 पेश किय

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

तथा गवाह पीडब्लू– 1 रामरस, पीडब्लू– 2 कैलाश, पीडब्लू– 3 गिर्राज के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल किया गया।

बहस एकतरफा वादीगण सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तर्क दिया कि ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट के खाता संख्या 38 में वर्णित आराजी खसरा नं0 4 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 16 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 79/1 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 79/3 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 80 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 81/1 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 81/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 82 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 83/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 83/2 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 91/3 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 94/1 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 196 रका 2 बिस्वा, खसरा नं0 197 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 205 रकबा 1 बीघा कुल किता 15 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 मे रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खाता संख्या 37 में आराजी खसरा नं0 168 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मे रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खाता संख्या 39 में आराजी खसरा नं0 224 रकबा 12 बिस्वा में रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा खाता संख्या 57 में खसरा नं0 360/1 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा में रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/10 है जो वादीगण के कब्जे काश्त के बाबत कथन किये है उसने अपना वाद प्रस्तुत अभिवचनो दस्तावेजात तथा साक्ष्य से पूरी तरह साबित किया है इसलिए वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं तहसीलदार लालसोट से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे के तथ्य को देखा जाये तो यह तथ्य गवाहान रामरस, कैलाश, गिर्राज, की साक्ष्य से सुस्पष्ट है कि सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेज व गवाहान के शपथपत्रो से यह तथ्य सुप्रमाणित है कि वादीगण को आराजी वादग्रस्त का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसलिए वादीगण का वाद पत्र डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट के खाता संख्या 38 में वर्णित आराजी खसरा नं0 4 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 16 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 79/1 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 79/3 रकबा 9

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

बिस्वा, खसरा नं0 80 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 81/1 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 81/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 82 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 83/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 83/2 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 91/3 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 94/1 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 196 रका 2 बिस्वा, खसरा नं0 197 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 205 रकबा 1 बीघा कुल किता 15 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 मे रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खाता संख्या 37 में आराजी खसरा नं0 168 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मे रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खाता संख्या 39 में आराजी खसरा नं0 224 रकबा 12 बिस्वा में रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा खाता संख्या 57 में खसरा नं0 360/1 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा में रामपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/10 पर वादीगण को उद्घोषित कर खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे दर्ज रामपाल पुत्र गणेश का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कर अमल दरामद हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)